न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./39/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मालमसिंह पुत्र श्री पुनमाजी जाति राजपुरोहित निवासी सराणा हाल निवासी सुरत, (गुजरात) 2. मंगलसिंह पुत्र स्व. पुनमाजी के का. मु. – 2/1. भरतसिंह पुत्र मंगलसिंह, निवासी प्लॉट संख्या 61, शीव हीरा नगर नवागांव उधाना सूरत (गुजरात) 2/2. जमुकवंर पुत्री स्व. मंगलसिंह, निवासी नवसारी (गुजरात) 2/3. चेलाकवंर पुत्री स्व. मंगलसिंह, निवासी डिण्डोली, सूरत (गुजरात) 2/4. रेखा पुत्री स्व. मंगलसिंह, निवासी गोढ़ाधरा सूरत (गुजरात) 2/5. तारोंदेवी पत्नी स्व. मंगलसिंह, समस्त जातियान राजपुरोहित, निवासी शीवहीरा नगर नवागांव उधना सूरत (गुजरात) 2/6. हितेन्द्र पुत्र मंगलसिंह को रेस्पो. पक्षकार बनाया है। 3. बाबुलाल पुत्र श्री पुनमाजी के का. मु.– 3/1. अशोक पुत्र बाबुलाल 3/2. संतोषी पुत्री बाबुलाल 3/3. रसालकंवर पुत्री बाबुलाल 3/4. मुकेश पुत्र बाबुलाल 3/5. कमलादेवी पत्नी बाबुलाल, जाति राजपुरोहित निवासीयान नवागांव डिण्डोली रोड़, उधना सुरत, (गुजरात)। 4. जसराज पुत्र श्री पुनमाजी, निवासी सराणा तहसील पचपदरा 5. पुखराज पुत्र श्री पुनमाजी निवासी शीव हीरा नगर नवागांव उधना सूरत राज्य गुजरात। 6. मोरो देवी बेवा श्री पुनमाजी निवासी शीव हीरा नगर नवागांव उधना सूरत राज्य गुजरात 7. कमलादेवी पत्नी श्री जब्बरसिंह निवासी सराणा तह. पचपदरा जिला बालोतरा। 8. नगसिंह पुत्र श्री करनाजी निवासी कर्नाटक 9. आम्बसिंह पुत्र श्री करनाजी निवासी अहमदाबाद राज्य गुजरात 10. खम्मादेवी पत्नी श्री करनाजी निवासी	1. मोहनसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह 2. चंपादेवी पत्नी श्री जवारसिंह 3. मांगीलाल पुत्र श्री जवारसिंह 4. ओमसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 5. राजुसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 6. मदनसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 7. मंजू पुत्री श्री जब्बरसिंह 8. किशोरसिंह पुत्र श्री करनाजी, जाति राजपुरोहित निवासी सराणा तह. पचपदरा 9. हितेन्द्र पुत्र स्व. मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांधीनगर, राज्य गुजरात 10. ग्राम पंचायत सराणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सराणा तह. पचपदरा 11. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा 12. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैक शाखा आसोतरा तह. पचपदरा।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सराणा तह. पचपदरा 11. पानीदेवी पुत्री श्री करनाजी निवासी उमरलाई तहसील पचपदरा 12. कालुसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी दहेज राज्य गुजरात 13. हनुमानसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी कोसम्बा राज्य गुजरात 14. सुन्दरदेवी पत्नी श्री प्रेमसिंह निवासी सराणा तह. पचपदरा। 15. बसन्ती पुत्री श्री वगतावरसिंह पत्नी चन्दनसिंह समस्त जातियान राजपुरोहित निवासी आसोतरा तह. पचपदरा।	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2021(2021/209) बअनवान मोहनसिंह वगैरह बनाम मंगलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

और

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./40/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मालमसिंह पुत्र श्री पुनमाजी जाति राजपुरोहित निवासी सराणा हाल निवासी सुरत, (गुजरात) 2. मंगलसिंह पुत्र स्व. पुनमाजी के का. मु. – 2/1. भरतसिंह पुत्र मंगलसिंह, निवासी प्लॉट संख्या 61, शीव हीरा नगर नवागांव उधाना सूरत (गुजरात) 2/2. जमुकवंर पुत्री स्व. मंगलसिंह, निवासी नवसारी (गुजरात) 2/3. चेलाकवंर पुत्री स्व. मंगलसिंह, निवासी डिण्डोली, सूरत (गुजरात) 2/4. रेखा पुत्री स्व. मंगलसिंह, निवासी गोढ़ाधरा सूरत (गुजरात) 2/5. तारोंदेवी पत्नी स्व. मंगलसिंह, समस्त जातियान राजपुरोहित, निवासी शीवहीरा नगर नवागांव उधना सूरत (गुजरात) 2/6. हितेन्द्र पुत्र मंगलसिंह को रेस्पो. पक्षकार बनाया है। 3. बाबुलाल पुत्र श्री पुनमाजी के का. मु.– 3/1. अशोक पुत्र बाबुलाल 3/2. संतोषी पुत्री बाबुलाल 3/3. रसालकंवर पुत्री बाबुलाल 3/4. मुकेश पुत्र बाबुलाल 3/5. कमलादेवी पत्नी बाबुलाल, जाति	1. मोहनसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह 2. चंपादेवी पत्नी श्री जवारसिंह 3. मांगीलाल पुत्र श्री जवारसिंह 4. ओमसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 5. राजुसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 6. मदनसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 7. मंजू पुत्री श्री जब्बरसिंह 8. किशोरसिंह पुत्र श्री करनाजी, जाति राजपुरोहित निवासी सराणा तह. पचपदरा 9. हितेन्द्र पुत्र स्व. मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांधीनगर, राज्य गुजरात 10. ग्राम पंचायत सराणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सराणा तह. पचपदरा 11. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा 12. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैक शाखा आसोतरा तह. पचपदरा।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजपुरोहित निवासीयान नवागांव डिण्डोली रोड़, उधना सुरत, (गुजरात)। 4. जसराज पुत्र श्री पुनमाजी, निवासी सराणा तहसील पचपदरा 5. पुखराज पुत्र श्री पुनमाजी निवासी शीव हीरा नगर नवागांव उधना सूरत राज्य गुजरात। 6. मोरो देवी बेवा श्री पुनमाजी निवासी शीव हीरा नगर नवागांव उधना सूरत राज्य गुजरात 7. कमलादेवी पत्नी श्री जब्बरसिंह निवासी सराणा तह. पचपदरा जिला बालोतरा। 8. नगसिंह पुत्र श्री करनाजी निवासी कर्नाटक 9. आम्बसिंह पुत्र श्री करनाजी निवासी अहमदाबाद राज्य गुजरात 10. खम्मादेवी पत्नी श्री करनाजी निवासी सराणा तह. पचपदरा 11. पानीदेवी पुत्री श्री करनाजी निवासी उमरलाई तहसील पचपदरा 12. कालुसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी दहेज राज्य गुजरात 13. हनुमानसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी कोसम्बा राज्य गुजरात 14. सुन्दरदेवी पत्नी श्री प्रेमसिंह निवासी सराणा तह. पचपदरा। 15. बसन्ती पुत्री श्री वगतावरसिंह पत्नी चन्दनसिंह समस्त जातियान राजपुरोहित निवासी आसोतरा तह. पचपदरा।	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2021(2021/209) बअनवान मोहनसिंह वगैरह बनाम मंगलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी उतरदाता संख्या 01 व 02 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांकः—28.07.2025

अपीलाण्ट्स द्वारा अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2021(2021/209) बउनवान मोहनसिंह वगैरह बनाम मंगलसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.2023 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों की विषय—वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग— अलग मूल निर्णय की प्रति रखी जावे।

अपीलांट्स द्वारा दोनों अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा सराणा पटवार हल्का सराणा, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 473 रकबा 36—04 बीघा आया हुआ है, जिसमें वादी/रेस्पो. संख्या 01 का 60/724 हिस्सा, वादी/रेस्पो. संख्या 02 का 60/724 हिस्सा, वादी/रेस्पो. संख्या 03 का 57/724 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी में दर्ज अनुसार है, वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती हिस्सों में दर्ज है किन्तु मौके पर वादी व प्रतिवादीगण वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी का संयुक्त दर्ज होने से वादी/रेस्पो. संख्या 01 को काश्त करने, ऋण लेने एवं अपने जोत को उपजाऊ बनाने में अड़चने आ रही हैं। इस हेतु वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया था। वाद में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की मृत्यु भी हो चुकी थी, किन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर वादी की एकतरफा साक्ष्य लेकर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा निर्णय पारित किया है। जिसमें अपीलांट के कब्जे—काश्त पर गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मौजा सराणा पटवार हल्का सराणा, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 473 रकबा 36–04 बीघा आया हुआ है, जिसमें वादी/रेस्पो. संख्या 01 का 60/724 हिस्सा, वादी/रेस्पो. संख्या 02 का 60/724 हिस्सा, वादी/रेस्पो. संख्या 03 का 57/724 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रविादीगण का जमाबंदी में दर्ज अनुसार है, उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी/रेस्पो. द्वारा वाद पत्र अनुसार बंटवारा करवाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर वाद में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नोटिस तामील नहीं हुए एवं वाद में प्रतिवादी सख्या 01 व 03 की मृत्यु भी हो चुकी थी, किन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी के एकतरफा साक्ष्य लिया जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.2023 विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये ही अपीलांट को साक्ष्य या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की जो माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट संख्या 01 से 06 व 15 व अन्य का कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग व रहवासी ढाणी, मकान, टांके इत्यादी बने हुए का गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत जाकर मौका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव में भी संबंधित तहसीलदार पचपदरा स्वयं द्वारा तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक बालोतरा व पटवारी हल्का सराणा द्वारा तैयार किया गया है। जबकि विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्तर से नीचे का कार्मिक/अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जा सकेगा। वादी/रेस्पो. संख्या 1 लगायत 03 द्वारा अपीलांट्स व शेष रेस्पोडेन्ट्स को जानबूझकर गलत पते का सम्मन प्रेषित कर तामील बताते हुए एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए इनके वारिसानों के हकों के विपरित जाकर आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। अपीलांधीन आदेश में अपीलांट/प्रतिवादी को जबावदावा प्रस्तुत करने साक्ष्य पेश करने एवं जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य सबूत देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, किन्तु अपीलाधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव पाया गया है। साथ ही वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 01 मंगलसिंह व प्रतिवादी संख्या 03 बाबूलाल की मृत्यु भी हो चुकी थी, वादी द्वारा वाद भी मृत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया था, जबकि उक्त के सबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मृतक व्यक्ति या पक्षकार के विरूद्ध निर्णय या डिक्री अगर पारित की जाती है तो उसे प्रारम्भ से ही शून्य प्रकृति की मानी जाएगी। उसके उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था।

उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उतरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा सराणा पटवार हल्का सराणा, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 473 रकबा 36–04 बीघा आया हुआ है, जिसमें वादी/रेस्पो. संख्या 01 का 60/724 हिस्सा, वादी/रेस्पो. संख्या 02 का 60/724 हिस्सा, वादी/रेस्पो. संख्या 03 का 57/724 हिस्सा है तथा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी में दर्ज अनुसार है, उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी/रेस्पो. द्वारा वाद पत्र अनुसार बंटवारा करवाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03 (वादीगण) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत दोनों अपीलों को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की बिना विधिक तामील करवाये ही अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार **By Metes & Bounds** सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया जाना आवश्यक था, साथ ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो विधि के सुस्थपित सिद्धान्त से बाधित है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2021(2021/209) बअनवान मोहनसिंह वगैरह बनाम मंगलसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.2023 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2024 विधि विरूद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए व विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर